छत्तीसगढ़ में लैंगिक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–सी.पी.ई

द्वारा प्रायोजित

एक दिवसीय कार्यशाला

दिनांक–05.02.2018

आयोजक	*विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र*	*संरक्षक एवं प्राचार्य*
डॉ.अनीता दीक्षित	*डॉ.प्रीति कंसारा*	*डॉ. रेखा पान्डेय*

शासकीय दू.ब. महिला स्वशासी महाविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रक्थनांक

शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ के अर्थशास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापक एवं संयोजक डॉ अनीता दीक्षित द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन "छत्तीसगढ में लैंगिक समानता के प्रयास" विषय पर दिनांक 5.2.18 को किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ में लैंगिक समानता के प्रयासों का अध्ययन करना तथा वैश्वीक असमानता की जानकारी एकत्र करना था।

कार्यशाला की सफलता हेतु मैं यूजीसी संयोजक डॉ.उषाकिरण अग्रवाल, अर्थशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ प्रीति कंसारा,, डॉ रागिनी पाण्डेय,
डॉ कल्पना मिश्रा, डॉ स्वप्निल कर्महे एवं श्रीमती रीतु मारवाह की आभारी हूं जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम के संपन्न हो सका।

अंत में मैं प्राचार्या महोदया डॉ. रेखा पाण्डेय के प्रति आभार व्यक्त करती हूं जिनके सहयोग, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम सफल हो सका ।

भारत में लैंगिक असमानता

वैश्विक सूचकांक:

लैंगिक असमानता भारत की विभिन्न वैश्विक लिंग सूचकांकों में खराब रैंकिंग को प्रदर्शित करती हैं।

- यूएनडीपी के लिंग असमानता सूचकांक - 2014रू 152 देशों की सूची में भारत की स्थिति 127वें स्थान पर हैं। सार्क देशों से संबंधित देशों में केवल अफगानिस्तान हि इन देशों की सूची में ऊपर हैं।
- विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक - 2014रू विश्व के 142 देशों की सूची में भारत 114वें स्थान पर हैं। ये सूचकांक में चार प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक अंतर की जाँच करता हैं:
- आर्थिक भागीदारी और अवसर।
- शैक्षिक उपलब्धियाँ।
- स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा।
- राजनीतिक सशक्तिकरण।

इन सभी सूचकाकों के अन्तर्गत भारत की स्थिति इस प्रकार हैं:

- आर्थिक भागीदारी और अवसर दृ 134।

- शैक्षिक उपलब्धियाँ – 126।
- स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा – 141।
- राजनीतिक सशक्तिकरण – 15।

ये दोनों वैश्विक सूचकांक लिंग समानता के क्षेत्र में भारतकी खेद जनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। बस केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत की कार्य सराहनीय हैं लेकिन अन्य सूचकाकों में इसकी स्थिति बहुत खेदजनक हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत अधिक प्रयास करने की जरुरत हैं।

लैंगिक असमानता सांख्यिकी

लिंग असमानता विभिन्न तरीकों में प्रकट होता है और भारत में जो सूचकांक सबसे अधिक चिन्ता का विषय हैं वो निम्न हैं:

- कन्या भ्रूण हत्या
- कन्या बाल-हत्या
- बच्चों का लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ग): 919
- लिंग अनुपात: 943
- महिला साक्षरता: 46:
- मातृ मृत्यु दर: 1ए00ए000 जीवित जन्मों प्रति 178 लोगों की मृत्यु।

ये ऊपर वर्णित सभी महत्वपूर्ण सूचकांक में से कुछ सूचकांक हैं जो देश में महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं।

कन्याभ्रूण हत्या और बाल-कन्या हत्या सबसे अमानवीय कार्य हैं और ये बहुत शर्मनाक हैं कि ये सभी प्रथाएं भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं।

ये आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि कानूनों अथार्त् प्रसव-पूर्व निदान की तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994ए के बावजूद आज भी लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात अपने उच्च स्तर पर हैं। मैकफर्सन द्वारा किये गये एक शोध के आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि भारत में लगभग 1ए00ए000 अवैध गर्भपात हर साल केवल इसलिये कराये जाते हैं क्योंकि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की का भ्रूण होता हैं।

इसके कारण, 2011 की जनगणना के दौरान एक खतरनाक प्रवृत्ति की सूचना सामने आयी कि बाल-लिंग अनुपात (0 से 6 साल की आयु वर्ग वाले बच्चों का लिंग-अनुपात) 919 हैं जो पिछली जनगणना 2001 से 8 अंक कम था। ये आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि लिंग परीक्षण के बाद गर्भपातों की संख्या में वृद्धि हुई हैं।

जहाँ तक पूरे लिंग-अनुपात की बात हैंए 2011 की जनगणना के दौरान ये 943 था जो 2001 की 933 की तुलना में 10 अंक आगे बढ़ा हैं। यद्यपि ये एक अच्छा संकेत हैं कि पूरे लिंग-अनुपात में वृद्धि हुई हैं लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं।

2011 के अनुसार पुरुषों की 82ण्14: साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता 65ण्46: हैं। ये अन्तराल भारत में महिलाओं के साथ व्यापक असमानता को प्रदर्शित करता हैं साथ ही ये भी इंगित करता हैं कि भारतीय महिलाओं की शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं।

ये सभी संकेतक लिंग समानता और महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की ओर से भारत की निराजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसलिये प्रत्येक साल भारतीय सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती हैं ताकि इनका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो लेकिन जमीनी हकीकत ये कि इतने कार्यक्रमों के लागू किये जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आता। ये परिवर्तन तभी दिखायी देंगें जब समाज में लोगों के मन में पहले से बैठे हुये विचार और रुढ़िवादिता को बदला

जायेगाए जब समाज खुद लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करेगा और लड़कियों को कोई बोझ नहीं समझेगा।

लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

लिंग असमानता को दूर करने के लिये भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैंय संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिकए आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंगए धर्मए जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15;3द्ध किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावाए राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।

इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावाए विभिन्न सुरक्षात्मक विधान भी महिलाओं के शोषण को खत्म करने और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा पारित किये गये है। उदाहरण के लियेए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत सती प्रथा को समाप्त करने के साथ ही इस अमानवीयकृत कार्य को दंड़नीय अपराध बनाया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961ए दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिएय विशेष विवाह अधिनियमए 1954 अंतर्जातीय या अंतर-धर्म से शादी करने वाले विवाहित जोड़ों के विवाह को सही दर्जा देने के लिएय प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) विधेयक (कन्या भ्रूण हत्या और कई और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए 1991 में संसद में पेश किया गयाए 1994 में पारित किया है।) इलके अलावा संसद समय-समय पर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लागू नियमों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये बहुत से सुधार करती रहती हैंए उदाहरण के लियेए भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 304. बी. को दहेज-केस दुल्हन की मृत्यु या दुल्हन को जलाकर मार देने के कुकृत्य को विशेष अपराध बनाकर आजीवन कारावास का दंड़ देने का प्रावधान किया गया हैं।

भारत में महिलाओं के लिये बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाये हैं पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग हैं। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाएं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रुप में व्यवहार किया जाता हैंए पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैंए महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर हैंए दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में हैंए कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है।

हम लैंगिक असमानता कैसे समाप्त कर सकते हैं

संवैधानिक सूची के साथ-साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानताएं चलती रहेंगी लेकिन वास्तिविक बदलाव तो तभी संभव हैं जब पुरुषों की सोच को बदला जाये। ये सोच जब बदलेगी तब मानवता का एक प्रकार पुरुष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरु कर दे न कि उन्हें अपना अधीनस्थ समझे। यहाँ तक कि सिर्फ आदमियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी औज की संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रुढ़िवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वो भी इस शोषणकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग बन गयी हैं और पुरुषों को खुद पर हावी होने में सहायता कर रहीं हैं।

इसलिएए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हैंए जहाँ महिलाएं आर्थिक रुप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकती हैंए जहाँ वो अपने डर से लड़कर दुनिया में भयमुक्त होकर जा सकती हैंए जहाँ वो अपने अधिकारों को पुरुषों की जेब में से निकाल सकती हैं और इसके लिये उन्हें किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं हैंए जहाँ वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा भविष्य व अपनी सम्पति की स्वंय मालिक बन सकती हैं और इन सबसे से भी ऊपर उन्हें मनु के समय से लगाई गयी सीमाओं से बाहर निकलकर चुनाव करने व अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती हैं।

हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सहभागी लोकतंत्रए आने वाले समय में और पुरुषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान ढूँढने में सक्षम हो जायेंगा और हम सभी को सोच व कार्यों की वास्तविकता के साथ में सपने में पोषित आधुनिक समाज की और ले जायेगा।

भारत में लिंग असमानता

लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता हैं किए लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परम्परागत रुप से महिलाओं को

कमजोर जाति-वर्ग के रुप में माना जाता हैं। वह पुरुषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है। वो घर और समाज दोनों में शोषितए अपमानितए अक्रमित और भेद-भाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का ये अजीब प्रकार दुनिया में हर जगह प्रचलित है और भारतीय समाज में तो बहुत अधिक है।

भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसारए श्पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था हैंए जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता हैंए उसका दमन करता हैं और उसका शोषण करता हैं।श महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासोंए चाहे वो हिन्दूए मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न होंए से प्राप्त की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आझार पर कहा जा सकता हैं कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज मेंए घर मेंए और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता हैं।

लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय-

भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में समता/समानता का अधिकार (अनु. १४ से १८ तक) प्राप्त है जो न्यायालय में वाद योग्य है।ये अधिकार हैं-

- अनुच्छेद १४= विधि के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद १५= धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- अनुच्छेद15(4)= सामाजिक एवम् शैक्षिक दष्टि से पिछडे वर्गो के लिए उपबन्ध ।
- अनुच्छेद १६= लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
- अनुच्छेद १७= छुआछूत (अस्पृश्यता) का अन्त कर दिया गया है।
- अनुच्धेद १८= उपाधियों का अन्त कर दिया गया है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।

विशिष्ट विधान

- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- सती (निवारण) अधिनियम, 1987
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954
- प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) विधेयक (कन्या भ्रूण हत्या और कई और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए 1991 में संसद में पेश किया गया, 1994 में पारित किया है।)

"छत्तीसगढ में लैंगिक समानता के प्रयास"

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग–सी.पी.ई. द्वारा प्रायोजित

एक दिवसीय कार्यशाला

दिनांक – 05.02.18

सत्र	विषय	समय	वक्ता प्रध्यापक का नाम
प्रथम	पंजीयन एवं उदघाटन	10.00–11.30	–
द्वितीय		11.30.1.00	डा. दिनेश मस्ता
भोजन अवकाश		1.00–1.30	
तृतीय		1.30–3.00	डॉ. वत्सला मिश्रा
चतुर्थ	लैंगिक समानता	3.00–4.30	डॉ. उषा दुबे
समापन एवं प्रमाणपत्र वितरण			

अर्थशास्त्र विभाग
कार्यशाला

दीप प्रज्जवलन

स्वागत

स्वागत

स्वागत

प्रथम सत्र–डॉ.दिनेश मस्ता

संयुक्त सचिव–राज्य योजना आयोग

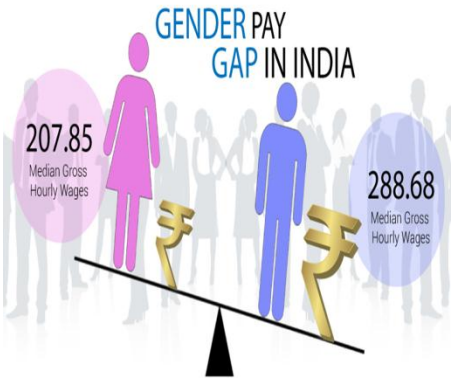

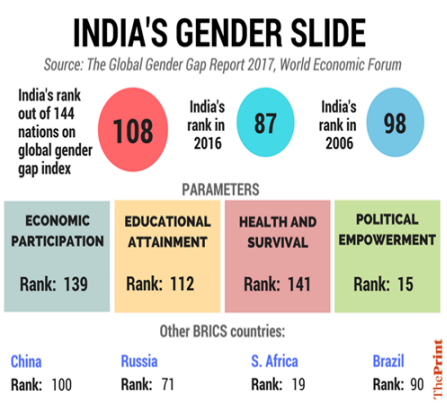

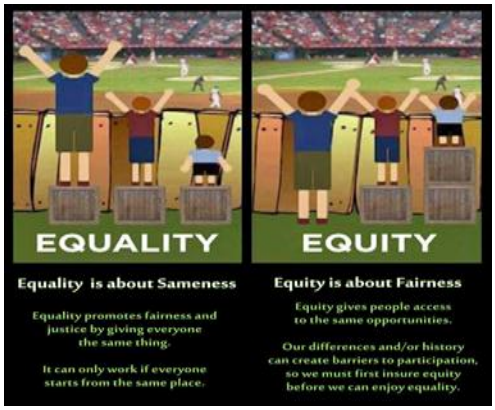

YES

द्वितीय सत्र–डॉ.वत्सला मिश्रा

संयुक्त सचिव– राज्य योजना आयोग

प्रदेश शासन द्वारा सभी स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा में सहायता प्रदान करने और लिंग-भेद-भाव आधारित अंतराल को कम करने हेतु महिलाओं को शिक्षाए स्वास्थ्यए पोषण एरोजगार एवं नेतृत्व प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के समान अवसरए सुविधा एवं अधिकार उपलब्ध कराने के साथ साथ कार्य क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी कुशलता एवं सुरक्षा हेतु प्रयासरत है।

समान अवसर भेदभाव की समाप्ति और सबके लिए चाहे वे किसी लिंग के होंएसमग्र विकास एवं अधिक सार्मथ्य व सक्षमता सुनिष्चित करने के लिए सहायक परिवेष का निर्माण करना।

बालिकाओं की षिक्षाए साक्षरता एवं उच्च षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शालाओं का उन्नयनए सरस्वती सायकल योजनाए छात्रवृत्ति तथा महाविद्यालय स्तर तक निःषुल्क षिक्षणराज्य में बालिकाओं की षिक्षाए भेदभाव तथा लिंग अनुपात में समानता हेतु बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओए नोनी सुरक्षा योजनाए सुकन्या समृद्धि योजनामहिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम/संरक्षण/सहायता/पुर्नवास हेतु संचालित अधिनियम/योजनायें

यथा सखी केन्द्रए 24 घंटे महिला हेल्पलाईन 181 नवा बिहान योजना (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण)ए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से रोकथाम अधिनियमए टोनही प्रथा निवारण अधिनियमए छत्तीसगढ़ निजी नियोजन (विनियमन) अधिनियमए 2013 मानव व्यापार से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं के संरक्षण/पुर्नवास के लिए कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं में सदृढ़ीकरण जेंडर बजटिंग सामाजिक/आर्थिक सुरक्षा व सषक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे छत्तीसगढ़ महिला कोषए विधवा/परित्यक्ता तथा वृद्ध महिलाओं के लिए पेंषन इत्यादि

- संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय के लिए नारी निकेतनए स्वाधार गृहए उज्जवला गृह
- **धनलक्ष्मी योजना**
- **सरस्वती साइकिल योजना**
- **गणवेश वितरण योजना**
- **नोनी सुरक्षा योजना**

पोस्टर प्रदर्शनी

तृतीय सत्र–डॉ. उषा दुबे

वरिष्ठ प्राध्यापक अर्थशास्त्र

प्रमाणपत्र वितरण

समाचार पत्र

पांडेय, प्रा. सुदीप सयाल सहित अन्य मौजूद थे।

वुमंस के सपोर्ट में ज्यादा मूवी बन रही हैं, लोग भी अवेयर हों

रायपुर | कालीबाड़ी स्थित डिग्री गर्ल्स कॉलेज में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की ओर से "छत्तीसगढ़ में लैंगिक समानता के प्रयास' विषय में वर्कशॉप रखी गई। यहां एक्सपर्ट ने वुमन इम्पॉवरमेंट पर अपने विचार रखे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बेहतर लिंगानुपात की सराहना भी की। राज्य योजना आयोग के संयुक्त संचालक डॉ. दिनेश कुमार मस्ता ने कहा कि महिलाओं के सपोर्ट में बॉलीवुड भी आ चुका है। हाल ही में रिलीज पद्मावत में रानी पद्मावति को एक सशक्त नारी के रूप में दिखाया गया। अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी भी वुमंस के सपोर्ट में है। डॉ. वत्सला मिश्रा ने कहा कि सरकार भी देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी चाहती है। प्रिंसिपल रेखा पांडेय ने कहा कि आधी आबादी के बिना देश का विकास संभव नहीं है।

डिग्री गर्ल्स कॉलेज में लैंगिक समानता पर कार्यशाला

महिलाएं आज भी पीरियड्स पर नहीं करतीं बात, जरूरी है पेडमैने जैसी फिल्में

डिग्री गर्ल्स कॉलेज में लैंगिक समानता विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों और छात्राओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में कॉलेज प्राध्यापकों सहित स्टूडेंट्स ने लैंगिक समानता पर अपनी विचार रखे।

कई मुद्दों पर छात्राओं और विशेषज्ञों ने रखी अपनी बात

रायपुर। स्टूडेंट्स ने बेझिझक होकर मंच के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखा एवं प्रश्न किए। कार्यक्रम में आयोजन सचिव डॉ. अनिता दीक्षित, प्राचार्य रेखा पांडेय, विभागाध्यक्ष डॉ. प्रीति कंसारा, विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ. दिनेश कुमार मस्ता, डॉ. वत्सला मिश्रा तथा डॉ. श्रद्धा गिरोलकर उपस्थित रहीं। इस मौके पर डॉ. अनिता ने प्रदेश में अच्छे लिंगानुपात की सराहना करते हुए प्राचीन काल की सशक्त नारियों का उदाहरण प्रस्तुत किया। प्राचार्य डॉ. रेखा पांडेय ने कहा, आधे भारत को सशक्त किये बिना देश का विकास संभव नहीं है। इस अवसर पर कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा समूह चर्चा एवं पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई, इसमें निखत, आकांक्षा एवं ज्योति विनर रहीं।

फिल्में तोड़ रही सामाजिक प्रतिबंधों को

डॉ. दिनेश मस्ता ने बेंगलुरु में किए गए शोध व अनुभवों से महिला स्वच्छता, शिक्षा व समता की बातें कहीं। उन्होंने कहा, देश में जहां एक ओर पैडमैन जैसी फिल्में सामाजिक प्रतिबंधों व वर्जनाओं को तोड़ रही है, वहीं फिल्मों में नायिका को नायकों से अधिक पारिश्रमिक मिलना सकारात्मक है। वहीं डॉ. वत्सला मिश्रा ने सतत उन्नति की बात कही तथा सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया तथा छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए संचालित अनेक योजनाओं की जानकारी दी। द्वितीय सत्र में डॉ. उषा दुबे ने देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने बताया, महिला समानता पर प्रथम विश्व सम्मेलन मेक्सिको में हुआ। उन्होंने जेंडर बजटिंग पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

डीबी गर्ल्स कॉलेज में लैंगिक समानता पर वर्कशॉप

अब पेन ही नहीं, बल्कि प्लेन उड़ाना भी सीख रहीं गर्ल्स

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

रायपुर ● अब वह समय नहीं रहा जब लड़कियों को पर्दे के पीछे रहने वाली वस्तु समझा जाता है। आज गर्ल्स हर एक फील्ड में लड़कों से आगे है।

हमारे समाज में इतना बदलाव आ गया है कि लड़कियां हर मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रख रही हैं। चाहे वह पॉलीटिक्स हो या फिर जागरुकता से जुड़ा मामला। हर वर्ग में गर्ल्स अपनी प्राथमिकता दर्ज करा रही है। ऐसी बातों पर लोगों को बताया गया शहर के डीबी गर्ल्स कॉलेज में। सोमवार को छत्तीसगढ़ में लैंगिक समानता के प्रयास सबजेक्ट पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह वर्कशॉप इकोनोमिक डिपार्ट द्वारा किया गया। आयोजन में डॉ. उषा दुबे, डॉ. कल्पना मिश्रा, डॉ.चंद्रज्योति आदि उपस्थित रही।

छत्तीसगढ़ की बेटियां सशक्त

विद्यालय की प्राचार्य डॉ. रेखा पाण्डेय ने लिंगानुपात की सराहना करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश की बेटियां सशक्त और जागरूक हो रही है। नारियों को जागरूक किए बिना एक विकासशील देश की परिकल्पना संभव नहीं है। वहीं डॉ. वत्सला मिश्रा ने उन्नति और सुरक्षा की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के प्रति सुरक्षा होनी चाहिए। वहीं उज्जवला योजना आदि के बारे में जानकारी दी गई।

नवभारत 7 www.navabharat.org

छत्तीसगढ़ में लैंगिक समानता में बहुत कम अंतर-डॉ. मिश्रा

■ नवभारत रिपोर्टर । रायपुर.

कालीबाड़ी स्थित डिग्री गर्ल्स कॉलेज में सोमवार को अर्थशास्त्र विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ में 'लैंगिक समानता के प्रयास' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यक्रम में राज्य योजना आयोग की संयुक्त संचालक डॉ. वत्सला मिश्रा, प्राचार्या डॉ. रेखा पाण्डेय, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. श्रद्धा गिरोलकर, डॉ. अनिता दीक्षित, डॉ. प्रीति कंसारा, डॉ. दिनेश कुमार मस्ता, डॉ. कल्पना मिश्रा व अन्य मौजूद रहे. इस मौके पर प्राचार्या डॉ. रेखा पाण्डेय ने कहा कि भारत विकास की ओर अग्रसर है, साथ ही देश में महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है. इसलिए अब महिलाओं को किसी भी तरह से कमजोर नहीं समझना चाहिए. डॉ. वत्सला मिश्रा ने कहा कि सामाजिक जागरूकता से पिछले दो दशक में छत्तीसगढ़ राज्य में लैंगिक समानता में बहुत ही कम अंतर रहा है, साथ ही राज्य में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है. डॉ. अनिता दीक्षित ने प्राचीन काल की सशक्त नारियों का उदाहरण पेश किया. डॉ. दिनेश मस्ता ने बंगलुरु में किए गए शोध व अनुभवों से महिला स्वच्छता, शिक्षा व समता पर अपने विचार रखे. साथ ही पैडमेन फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह की फिल्में सामाजिक प्रतिबंधों व वर्जनाओं को तोड़ रही है, वहीं पद्मावत जैसी फिल्म में नायिका को नायकों से अधिक पारिश्रमिक मिलना सकारात्मक है. द्वितीय सत्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ. उषा दुबे ने लैंगिक समानता के इतिहास पर चर्चा करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण का दौर आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है. इसके लिए पहला विश्व सम्मेलन मेक्सिको में हुआ था, लेकिन इसे सफलता बीजिंग में मिली. इस दौरान छात्राओं ने समूह चर्चा व पोस्टर प्रदर्शनी प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर

या प्रक्षेपण 24 कुंडीय गायत्री

छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता के प्रयास पर हुई कार्यशाला

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

शासकीय दू. ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यू.जी.सी., सी.पी.ई के अंतर्गत अर्थशास्त्र विभाग द्वारा छात्राओं के लिए छत्तीसगढ़ में लैंगिक समानता के प्रयास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव डॉ. अनिता दीक्षित ने छत्तीसगढ़ में अच्छे लिंगानुपात की सराहना करते हुए प्राचीन काल की सशक्त नारियों का उदाहरण प्रस्तुत किया।

इस दौरान डॉ. रेखा पाण्डेय ने कहा कि आधे भारत को सशक्त किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे महाविद्यालय की बच्चियां अब अधिक जागरूक हैं व समानता की ओर अग्रसर हैं। डॉ. दिनेश मस्ता ने अपने बैंगलोर में किए गए शोध व अनुभवों से महिला स्वच्छता, शिक्षा व समता की बातें

कहीं। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि जहां एक ओर पैडमेन जैसी फिल्में सामाजिक प्रतिबंधों व वर्जनाओं को तोड़ रही हैं वहीं पद्मावत जैसी फिल्म में नायिका को नायकों से अधिक पारिश्रमिक मिलना सकारात्मक है। डॉ. वत्सला मिश्रा ने सतत् उन्नति की बात कहते हुए सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और छ.ग. में महिलाओं के लिए संचालित अनेक योजनाओं की जानकारी देते हुए उज्जवला योजना से घरेलू कार्य को सरल बताया।